# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 43/2021** **दायर दिनांकः 20/09/2021**

उनवान

1. सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू जिला बारां ।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

उपस्थिति :–

प्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री अलताफ हुसैन।

निर्णय दिनाकः 12/11/2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल भोजूखेडी तहसील अटरू मे खाता संख्या 68 का ख0नं0 189 का रकबा 0.69 है0, ख0 नं0 195 का रकबा 0.14 है0, ख0नं0 74/212 का रकबा 1.37 है0, ख0नं0 74/216 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.30 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम सद्दाम हुसैन होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते वक्त शद्दामहुसेन दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थी को कृषि योजनाओं की सुविधा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 08.09.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय

में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद दर्ज है। प्रार्थी इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गा है। आराजी ग्राम भोजूखेडी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया तथा एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 सद्दाम हुसैन पुत्र खेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बडोरा का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया गया कि ग्राम व माल भोजूखेडी की खाता संख्या 68 कुल किता 4 रकबा 2.30 है0 है। जिसमें मेरा नाम शद्दाम हुसैन गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम सद्दाम हुसैन है मेरे दस्तावेजों के आधार पर मेरा सही नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम व माल भोजूखेडी की खाता संख्या 68 कुल किता 4 रकबा 2.30 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम शद्दाम हुसैन के स्थान पर दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध कर सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया । ग्राम भोजूखेडी की जमाबन्दी संवत 2074–77 (प्रदर्श–1) के खाता संख्या 77 के ख0नं0 189 का रकबा 0.69 है0, ख0 नं0 195 का रकबा 0.14 है0, ख0नं0 74/212 का रकबा 1.37 है0, ख0नं0 74/216 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.30 है0 में खातेदार का नाम शद्दामहुसेन पुत्र खैरमोहम्मद अंकित है।

5. प्रार्थी द्वारा पेश अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद, मतदाता पहचान पत्र में सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद, जनआधार कार्ड में सद्दाम हुसैन, राशन कार्ड में सद्दाम हुसैन अंकित है। ग्राम पंचायत बडोरा के प्रमाण पत्र दिनांक 10.08. 2021 अनुसार सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद ग्राम बडोरा का निवासी है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**–::क्रियात्मक आदेश::–**

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम भोजूखेडी के खाता संख्या 77 के ख0नं0 189 का रकबा 0.69 है0, ख0 नं0 195 का रकबा 0.14 है0, ख0नं0 74/212 का रकबा 1.37 है0, ख0नं0 74/216 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.30 है0 में खातेदार **शद्दाम हुसेन पुत्र खैरमोहम्मद के स्थान पर सद्दाम हुसैन पुत्र खेर मोहम्मद** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**